ग्राम पंचायत ठठल, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.14 से 31.3.17
भाग – एक

1. **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या:PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत **ठठल**, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहेl

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सीता राम	1-04-2014 से 22-01-2016
2	श्री प्यारे लाल	23-01-2016 से 31-03-2017

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री करण कुमार	1-04-2014 से 23-09-2016
2	श्री देश राज	24-09-2016 से 17-11-16
3	श्री राजिंदर सिंह	18-112016 से 31-03-2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत **ठठल** के लेखाओं अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैl

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.17
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	27.28
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय करना	4.06
4	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	0.21
5	10(i)	मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2.25

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत **ठठल**, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक **द्वारा** दिनांक 16-11-2017 से 20-11-2017 तक ग्राम पंचायत **ठठल** में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है। ।

आय:- 1/15, 3/16 व 3/17

व्यय:- 1/15, 12/15 व 1/17

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। । उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा। ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत **ठठल**, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या -259 दिनांक 17-11-2017 **द्वारा** सचिव ग्राम पंचायत **ठठल** से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को यूको बैंक **ठठल** के बैंक ड्राफ्ट संख्या 221155 दिनांक 18-11-2017 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को प्रेषित कर दिया गया है।।

4 **वितीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विवरण परिशिष्ट- क पर भी दिया गया है। ।

वितीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	**418041**	**1741294**	**2159335**	**1936904**	**222431**
2015-16	**222431**	**3039777**	**3262208**	**2493751**	**768457**
2016-17	**768457**	**4461751**	**5230208**	**2333999**	**2896209**

(i) स्वयं स्त्रोत्र:-

ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा परिशिष्ट –ख** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	121130	74411	195541	82619	112922
2015-16	112922	96203	209125	76091	133034
2016-17	133034	120022	253056	84404	168652

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत **ठठल** के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण परिशिष्ट –ख में भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	**296911**	**1666883**	**1963794**	**1854285**	**109509**

2015-16	**109509**	**2943574**	**3053083**	**2417660**	**635423**
2016-17	**635423**	**4341729**	**4977152**	**2249595**	**2727557**

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

अन्त शेष का विवरण:-

क्रम सं०	**निधि का नाम**	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष**
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० बी० अम्ब	2009003435	1824970
		एच० डी० एफ० सी० अम्ब	50100137434034	989593
		यूको बैंक **ठठल**	15060100000131	74329
			हस्तगत रोकड़	245
			योग	2889137
2	आई० ए० वाई०/आर० ए० वाई०	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009003694	5774
			हस्तगत रोकड़	40
			योग	5814
3	मनरेगा	यूको बैंक **ठठल**	15060100004104	0
			योग	2894951

4(iii) बैंक समाधान विवरणी:-

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप निम्नानुसार दिनांक 31-03-2017 को ₹1258 का अन्तर था। । अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ।

दिनांक 31-03-2107 को स्वंय स्त्रोत व अनुदान रोकड़ बही का अन्त शेष = 2896209
दिनांक 31-03-2107 को बैंक खातों व हस्तगत राशि के अनुसार अन्त शेष = 2894951
अन्तर = 1258

4(iv) रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करना :-

रोकड़ बही के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। ।अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ।

5 **पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख का वसूली हेतु शेष:-**

(क) ₹15400 का गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

सचिव ग्राम पंचायत ठठल **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2017 तक गृह कर के रूप में **₹15400** वसूली हेतु शेष

थी1 जिसका विवरण (परिशिष्ट ग) पर भी दिया गया है1 ।

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	240	15240	15480	560	14920
2015-16	14920	15240	30160	30160	0
2016-17	0	15460	15460	60	15400

अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर ₹15400 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए1

(ख) ₹2090 का दुकान किराये के रूप में वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

सचिव ग्राम पंचायत ठठल **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2017 तक दुकान किराये के रूप में **₹**2090 वसूली हेतु शेष थी1 जिसका विवरण (परिशिष्ट ग) पर भी दिया गया है1 ।

वितीय वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	दिनांक 31-03-17 को वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	**0**	**22800**	**22800**	**19000**	**3800**
2015-16	**3800**	**25080**	**28880**	**20520**	**8360**
2016-17	**8360**	**25080**	**33440**	**31350**	**2090**

अतः उपरोक्त उल्लेखित दुकान किराये **₹**2090 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए1

6 **अनुदान ₹27.28 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट-ख के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक अनुदान **₹2727557** उपयोग हेतु शेष थी1 ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा1 अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए1 ।

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ही ₹4.06 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं1 व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया की परिशिष्ट-घ पर दिए गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹405951** की निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है **1 । अतः** निर्माण सामग्री का क्रय

नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ।

8 **बिना उचित बिलों के ₹1.57 की निर्माण सामग्री का क्रय**

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से परिशिष्ट-Mड पर दिए गए विवरणानुसार **₹156800** की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है। । अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व **₹156800** की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिदातायों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए। ।

9 **₹0.21 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट -च पर दिए गये विवरणानुसार ₹20939 की निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय की गई मदों की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है। स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होने के कारण क्रय की गई मदों के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। । अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरांत सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ।

10 **i) मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹2.25 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-**

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 1/15, 12/15 व 1/17 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में परिशिष्ट-छ पर दिए गए विवरण अनुसार मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी **₹224865** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितना मजदूरी मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है। अतः उक्त मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी **₹224865** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। ।

ii) परिशिष्ट-छ पर दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 6 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी **₹94754** से सम्बन्धित मस्टररोलों पर माप पुस्तिका व पेज संख्या उल्लेखित नहीं है जहाँ पर प्रगति **(progress)** दर्ज है। अतः सम्बंधित मस्टररोलों पर माप पुस्तिका व पेज संख्या दर्ज करने उपरान्त वांछित माप पुस्तिकायें सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। ।

11 **टी० डी० एस० की कटौती न करना:-**

आयकर की धारा में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व् एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी०डी०एस० की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में टी०डी०एस० की कटौती नहीं की गई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए ।

12 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व् 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था1 । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है1 । अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए1 ।

संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12(1)
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95(1)
4	मासिक समाधान विवरणी		15
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

13 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत **द्वारा** निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है1 ।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(iv) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(v) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** उपरोक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जो कि उक्त नियमों की अवहेलना है1 अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए1 ।

14 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

(i) हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी1

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव1

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था1 जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है 1 अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए1

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समीति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप

नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बंधित ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बंधित वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बंधित क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत **ठठल द्वारा** निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय –ण के उप नियम –93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम –93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म पर तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (**Minute Book of Gram Panchayat**) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव **द्वारा** निर्धारित फार्म –11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पस्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

16 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से तैयार नहीं की गई है।

18 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(v) 29/2017 खण्ड–1–2172–2175 दिनांक 27.03.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत ठठल, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881